"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी 2017--- माघ 8, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1. — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 40 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (क) सहपठित छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 30 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में राशन कार्ड के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 40 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 कहलाएंगे.
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
 - (3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013);
 - (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राशनकार्ड के हितग्राहियों की पहचान तथा उसे जारी करने हेतु कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी;
 - (ग) "नियंत्रण आदेश" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004;
 - (घ) "विभाग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;
 - (ङ) "संचालक" से अभिप्रेत है संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण;
 - (च) "राशनकार्ड हेतु परिवार" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है पति, पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे तथा आश्रित सदस्य:
 - (छ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन जारी एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; तथा

- (ज) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ।
- (2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके कमशः वही अर्थ होंगे, जो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013), छत्तीसगढ़ सार्वजिनक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।
- 3. राशनकार्ड के प्रकार एवं पात्रता. (1) राशनकार्ड केवल अन्त्योदय, प्राथमिकता श्रेणी तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के ही होंगे ।
 - (2) निम्नलिखित व्यक्ति और परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे, अर्थात् :--
 - (क) अधिनियम की धारा 15 की उप—धारा (2) में विशेष रुप से कमजोर सामाजिक समूह के रूप में उल्लेखित व्यक्ति या परिवार, जो अंत्योदय परिवार के अंतर्गत भी पात्र हो;
 - (ख) अधिनियम की धारा 15 की उप—धारा (3) के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवार के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति या परिवार।
- 4. राशनकार्ड हेतु व्यक्तियों एवं परिवारों का अपवर्जन . निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति एवं परिवार, राशनकार्ड की पात्रता हेतु अपवर्जित हो जायेंगे, अर्थात्:—
 - (क) ऐसे व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य, जो अधिनियम की धारा 15 की उप—धारा (4) के अंतर्गत अपवर्जित हैं;
 - (ख) तृतीय श्रेणी से अनिम्न दैनिक वेतनभोगी, मानदेयी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्र अथवा राज्य शासन के समस्त विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगम, मंडलों, स्वशासी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के समस्त कर्मचारी जो स्थायी हों अथवा संविदा आधार पर नियुक्त किये गये हों; तथा
 - (ग) राज्य शासन समय—समय पर अधिसूचना द्वारा, इस नियम के अंतर्गत अपवर्जित व्यक्तियों या परिवारों की विभिन्न श्रेणियां बना सकेगा और ऐसे व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अपवर्जित हो जायेंगे।
- 5. अन्त्योदय, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों की पहचान हेतु दिशानिर्देश.— (एक) अन्त्योदय परिवारों की पहचान—
 अधिनियम की धारा 15 की उप—धारा (5) में, विशेष रुप से कमजोर सामाजिक समूहों के समस्त परिवार को अन्त्योदय परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट किये जाने का प्रावधान है।
 - (दो) विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवारों की पहचान— (1) धारा 15 की उप—धारा 2 में, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवार में निम्नलिखित परिवार विनिर्दिष्ट होंगे:—

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर यथा अधिसूचित विशेष रुप से कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार अर्थात् बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार एवं अबुझमाड़िया जनजाति के समस्त परिवार;
- (ख) समस्त परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी / परित्यक्त महिला है;
- (ग) समस्त परिवार जिसके मुखिया, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं;
- (घ) समस्त परिवार जिनके मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति हैं;
- (ड.) समस्त परिवार जिनके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, जिनके पास जीवन निर्वाह का साधन या सामाजिक सहायता नहीं है;
- (च) समस्त परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है;
- (छ) समस्त परिवार जिनके मुखिया आवासहीन है तथा समस्त परिवार जो पृण्डो एवं भूंजिया जनजाति के है, अधिनियम की धारा 15 की उप—धारा 2 के खण्ड (छ) के अधीन विशेष रुप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवार में संविलित है; तथा
- (ज) परिवारों का कोई अन्य समूह, जैसा कि राज्य सरकार, द्वारा समय समय पर, अधिसूचित किया जाये ।
- (2) पात्र अन्त्योदय परिवारों के पहचान की प्रक्रिया— अन्त्योदय राशनकार्ड हेतु आवेदन करने वाले परिवार, उनकी स्वयं की पात्रता के आधार पर, विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की श्रेणी में से किसी एक श्रेणी का चयन करेगा तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—
 - (क) बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, अबूझमाड़िया, पण्डो एवं भूंजिया जनजाति के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र;
 - (ख) विधवा अथवा एकाकी महिला की पहचान हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ;
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट गंभीर लाईलाज बीमारी से ग्रिसत होने के मामलें में, संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ;
 - (घ) निःशक्त व्यक्ति की पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र;

- (ड) निराश्रित व्यक्ति की पुष्टि हेतु ग्रामीण क्षेत्र, में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;
- (च) विमुक्त बंधुवा मजदूर की पुष्टि हेतु श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र; तथा
- (छ) आवासहीन व्यक्तियों की पुष्टि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- (3) अन्त्योदय परिवार की पात्रता के संबंध में प्रमाण पत्र सहित प्रपत्र—1 में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, इसका परीक्षण करेगा एवं उसके पात्र पाये जाने पर, अन्त्योदय राशनकार्ड हेतु आवेदक की पात्रता का सत्यापन करेगा ।
- (तीन) प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान— (1) अधिनियम की धारा 15 की उप—धारा (3) के अध्यधीन रहते हुये निम्निलखित संवर्गों से संबंधित समस्त परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार के रूप में अभिहित होंगे :—
 - (क) अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मुख्यमंत्री खाद्यान्त सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार, जो खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु उक्त योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार पात्र हों;
 - (ख) भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार;
 - (ग) सीमान्त एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार;
 - (घ) समस्त परिवार, जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के उपबंधों के अन्तर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं; तथा
 - (ड.) समस्त परिवार, जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के उपबंधों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।
 - (2) प्राथमिकता वाले परिवारों के पहचान की प्रक्रिया— प्राथमिकता परिवार राशनकार्ड हेतु आवेदन करने वाले परिवार, स्वयं की पात्रता का ध्यान रखते हुए प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में से किसी एक श्रेणी का चयन करेगा तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—
 - (क) अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का पात्र राशनकार्डधारी होने की स्थिति में, राशनकार्ड की छायाप्रति:
 - (ख) भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ;

- (ग) सीमान्त एवं लघु कृषक परिवारों की पुष्ट्रि हेतु राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ;
- (घ) असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के उपबंधों के अन्तर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र; तथा
- (ड.) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के उपबंधों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- (3) प्राथमिकता वाले परिवार की पात्रता के संबंध में प्रमाणपत्र सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, इसका परीक्षण करेगा एवं उसके पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता वाले राशनकार्ड हेतु आवेदक की पात्रता का सत्यापन करेगा ।
- 6. राशनकार्ड की उपयोगिता.—(1) राशनकार्ड का उपयोग, उपभोक्ता दरो की पात्रता तथा राशन सामग्रियों की मात्रा के अलावा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (2) राशनकार्ड के अंतर्गत राशन सामग्रियों की पात्रता, अधिनियम की अनुसूची—एक में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 7. प्रचित राशनकार्डों का बना रहना. इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व जारी तथा प्रचित समस्त वैध राशनकार्ड तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि इन नियमों के अंतर्गत उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता।
- 8. राशनकार्ड तैयार करने या अंतरित करने तथा सदस्यों को जोड़ने या अंतरित करने की प्रक्रिया.— (1) नवीन राशनकार्ड या राज्य के भीतर अन्य क्षेत्र में राशनकार्ड के अंतरण हेतु आवेदन, प्रपत्र—1 में संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (2) राशनकार्ड में नवीन सदस्यों के नाम जोड़ने अथवा उनके नाम किसी अन्य राशनकार्ड में अंतरित करने हेतु आवेदन प्रपत्र—2 में संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (3) परिवार के मुखिया तथा उसके सदस्यों की पहचान तथा निवास पते की त्रुटि रहित पुष्टि हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जायेगा, अर्थात् :--
 - (क) राशनकार्ड में परिवार के मुखिया के लिए आवेदन करने वाले मुखिया एवं परिवार के अन्य सदस्यों की कोई फोटो परिचय पत्र, जो संचालक द्वारा इस प्रयोजन हेतु सम्यक् रूप से अनुमोदित की गई हो;
 - (ख) परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों का पासपोर्ट साइज फोटो;

- (ग) अवयस्क सदस्य का नाम राशनकार्ड में जोड़ने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायांप्रति जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा संचालक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य दस्तावेज;
- (घ) परिवार के मुखिया या परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र (ईपिक कार्ड) की छायाप्रति;
- (ड.) परिवार के मुखिया या परिवार के किसी अन्य सदस्य का बैंक खाता कमांक एवं आईएफएससी कोड कमांक की जानकारी; तथा
- (च) अन्त्योदय अथवा प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में शामिल होने की पात्रता के संबंध में प्रमाण पत्र की प्रति।
- (4) आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी, आवेदन में संलग्न प्रमाण पत्रों, अन्य दस्तावेजों तथा की गई घोषणाओं की जांच करेगा। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में कोई विसंगति पाये जाने पर या दस्तावेज की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह होने पर, सक्षम अधिकारी, शासकीय कार्यालय अथवा जारीकर्ता अधिकारी/कर्मचारी से प्रमाणपत्र की पुष्टि करायेगा, ताकि केवल पात्र परिवारों को राशनकार्ड जारी हो सके।
- (5) सक्षम अधिकारी सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय मापदण्ड पर आधारित जनगणना, 2011 में किये गये सर्वे की रिपोर्ट के साथ परिवार के सदस्यों का मिलान करेगा । सही पाये जाने पर, परिवार की जानकारी की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करेगा ।
- (6) सक्षम अधिकारी, आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन के लिये, स्थल निरीक्षण तथा स्थानीय निवासियों का अनिवार्य रुप से कथन लेगा ।
- (7) सत्यापन के उपरांत सक्षम अधिकारी, अपना सत्यापन प्रतिवेदन, स्थानीय नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या आयुक्त अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्तुत करेगा।
- 9. राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्रों के मामले में आम जनता (सामान्य जन) की आपत्ति आमंत्रित करना.— नियम 8 में दी गई प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत, राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्रों पर आम जनता (सामान्य जन) की आपत्ति आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:—
 - (1) स्थानीय नगरीय निकायों के आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा विकासखण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदन पत्रों के विवरण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर ग्रामवार एवं नगरीय निकायवार प्रदर्शित किया जायेगा।
 - (2) सत्यापित आवेदन पत्रों का विवरण स्थानीय नगरीय निकायों या ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

- (3) प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण ग्राम या वार्डसभा की ब़ैठकों में उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाया जाएगा।
- 10. आपित्त की सुनवाई. यदि राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र पर कोई आपित प्राप्त होती है, तो उसकी सुनवाई नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा की जायेगी ।
- 11. राशनकार्ड हेतु आवेदन पर आदेश. इन नियमों के नियम 8, 9 एवं 10 में दी गई प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात्, नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतिम आदेश जारी करेगा और तत्पश्चात, राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया, संशोधन या अंतरण किया जायेगा तथा आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
- 12. राशनकार्ड जारी करने हेतु समय—सीमा. राशनकार्ड जारी करने हेतु समय—सीमा ऐसी होंगी जैसा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क. 23 सन् 2011) के अधीन विहित किया गया है।
- 13. अपील. नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेगी और तहसीलदार द्वारा लिया गया निर्णय, अंतिम होगा।
- 14. राशनकार्डो का सत्यापन.—प्रतिवर्ष राशनकार्डों का सतत् सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा तथा राशनकार्ड सूचियों का अद्यतन निम्नानुसार किया जायेगा:—
 - (1) ऐसे ग्रामों या वार्डों में जहां राशनकार्डों की संख्या या परिवार के सदस्यों की संख्या, जनगणना एवं सामाजिक आर्थिक जानकारी की तुलना में असामान्य रूप से अधिक है, उनमें राशनकार्डों का सतत् सत्यापन आवश्यक रूप से किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए उचित मूल्य दुकानों की सूची कलेक्टर द्वारा तैयार की जाएगी।
 - (2) संचालक अथवा कलेक्टर किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी समय राशन कार्डों के सतत् सत्यापन के लिए आदेश जारी कर सकेंगे।
 - (3) सतत् सत्यापन के लिए चयनित उचित मूल्य दुकान के राशन कार्ड धारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उन्हें इस आशय का कि वे अपवर्जित श्रेणी की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषणा पत्र एवं प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा निर्धारित किया गया हो, प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा और राशन कार्ड के लिये प्रमाण के रुप में उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

- (4) इन नियमों के नियम 8, 9 एवं 10 में दी गई प्रक्रिया क़े पूर्ण होने के पश्चात्, नियम 11 के अंतर्गत आदेश जारी किया जाएगा।
- (5) उक्त प्रकिया के पूर्ण होने के उपरांत राशनकार्ड की अद्यतन सूची प्रदर्शित की जायेगी।
- 15. राशनकार्ड जारी करने के लिये झूठी जानकारी देने और साक्ष्य या तथ्य छिपाने के लिए दंड. यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत आवेदन पत्र अथवा घोषणा पत्र में कोई झूठी जानकारी देता है, अथवा जानबूझकर कोई जानकारी छिपाता है अथवा यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत आवेदन पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी झूठी जानकारी या प्रमाण पत्रों के आधार पर बोगस अथवा अपात्र राशन कार्ड जारी करता है तो उसे सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों या उसके अधीन निर्मित नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडित किया जायेगा । यदि राशनकार्ड जारी करने हेतु नियम में उल्लेखित प्रकिया का पालन नहीं किया जाता है, तो आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी तथा नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 16. निर्देशों के अनुपालन हेतु आदेश जारी करने की शक्ति.— इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन हेतु राज्य शासन समय—समय पर आवश्यक आदेश जारी कर सकेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

प्रपत्र—1 छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के अंतर्गत नवीन राशनकार्ड हेतु आवेदन सह घोषणा पत्र

Я	ति,					3 .		
		आयुक्त / मुख्य नग ग्राम / वार्ड	रपालिका	अधिकारी,	/ सचिव, पंचा	यत		मुखिया का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
		ग्राम पंचायत / नगरी	ोय निकार	Γ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ore:		
		तहसील / विकासखं	ड	••••••••	जिला–	······		
1.		मैं पिता / पति		*******************************	(परिवार की	ज्येष्ठतम महिला सदस	य / महिला म्	ुखिया का नाम),
2.		जाति – अन जाति	∕जन ज	ाति / अस्य	गिफ्रस वर्ग /	सामान्य		
3.		वर्तमान पता – मक	ान नंबर वि	11(1) 01 9	14091 441/	गली नंबर	•••••••	
		मोहल्ला	er and america s		***************************************	वार्ड नंबर	*****************	
4.		मेरा / परिवार के अ	न्य सदस्य	का मोबा	र्डल नंबर	419 194	******************	
5.		बैंक खाता क्रमांक (मुखिया / र	सदस्य)	X 113			
		आईएफएससी कोड	 क्रमांक				***************************************	
6.		मेरे परिवार के सदर	ऱ्यों की वि	वरण (आ	ज की स्थिति ग	में) निम्नानुसार है :—	************	
CHARLES IN THE STREET	क्र.	महिला मुखिया / सदस्य का नाम	आयु	लिंग	मुखिया से रिश्ता		आधार कार्ड क्रमांक	नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
	-,.					लिए)	21-11-11	tilg of thich
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.							
	2.							
	3.							
7.		भैं अथवा मेरे परिवार (10 एकड़) से अधि मेरे पास नगरीय क्षेत्र परिवार का कोई सर	र का कोइ क सिंचित श्रों में 1000 दस्य छत्ती	ई अन्य स भूमि या वर्गफीट सगढ़ खा	दस्य आयकर 8 हेक्टेयर (20 से अधिक क्षेत्र द्य सुरक्षा अधि	ना न होने पर परिवार दाता नहीं है। मैं गैर व एकड़) से अधिक आ अफल पर निर्मित पक्का नेयम की धारा 15 की अपवर्जित परिवार की श्रे	अनुसूचित क्षे सिंचित भूमिः मकान नहीं उप–धारा ४	त्र में 4 हेक्टेयर गरक नहीं हूँ । है । मैं या मेरे
3.		छत्तीसगढ़ खाद्य सु परिवार –	रक्षा अधि	नियम की	धारा 15 में	अन्त्योदय अन्न योजन	ा / विशेष क	मजोर समूह के
		1. केन्द्र सरक	ार द्वारा	समय-स	मय पर यथा	अधिसूचित विशेष क	मजोर जनर	जाति समूह के
		. समस्त पारव				ा में से अपनी जनजाति		
		2. परिवार जिस	की मुखिय	ग विधवा	/परित्यक्ता अ	थवा एकाकी महिला है		
		3. परिवार जिस	के मुखिय	। गंभीर /	/ एकाकी पर लाईलाज बीमार व्लसेल एनीमिय	√ का निशान लगाये) री से पीड़ित हैं ☐ II)		
	9	4. परिवार जिस				•		
		स्वयं निःशक्त	न 🔲 पी	ते / पत्नि	निःशक्त है [

	5.	परिवार जिसके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं तथा जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राही
	6.	कमांक है । परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है 🗌
	7.	परिवार जिनके मुखिया आवासहीन है
		(उपरोक्त संबंध में सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
		अथवा
	छत्तीस	गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 में प्राथमिकता वाले परिवार —
	1.	भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार
	2.	सीमान्त कृषक परिवार (2.5 एकड़ तक के भू—स्वामी परिवार)
	3.	लघु कृषक परिवार (5 एकड़ तक के भू—स्वामी परिवार)
	4.	असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत 🏿
	5.	सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत 🏿
		(उपरोक्त संबंध में सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
		अथवा
	मुख्यमं	त्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत निःशक्तजन हरा राशनकार्ड के लिये –
	3	आवेदक निःशक्तजन
		(उपरोक्त संबंध में सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
	की श्रेप	अन्त्योदय परिवार के लिए निर्धारित श्रेणी अथवा प्राथमिकता वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री न सहायता योजना के निःशक्तजन हरा के लिये निर्धारित श्रेणी में से क्रमांक/// गी के अंतर्गत में पात्र हूँ तथा मेरे द्वारा उपरोक्त पात्रता वाले परिवार पर 🗸 का निशान अंकित
9.	मैं यह से कि छत्तीर की पुर्व	गया है । घोषणा करती / करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें सी भी सदस्य के नाम से न तो पृथक से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम गढ़ राज्य के किसी अन्य जिलों के राशनकार्ड में दर्ज है । आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी ष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध जावेगा ।
	जानव	मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करती / करता हूँ कि इस घोषणा पत्र पर मेरे द्वारा दी गई समस्त गरियाँ पूर्णतः सत्य है तथा यह इकरार करती / करता हूँ कि जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई गरी गलत पाई जाती है तो मै आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत् दण्ड का रहूँगी / रहूंगा ।
		C (()(4) () () () ()
देनांक		
(आवद <i>्</i> नाम एव	के निरक्ष वं पता र	ार होने पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान साक्षी के समक्ष लिया जाए तथा साक्षी का हस्ताक्षर, महित दर्ज कराया जाए)
		सत्यापन
उल्लेखि	जनगणन इत सद	रा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किया गया । सामाजिक आर्थिक II 2011 के सर्वे में परिवार का कमांक
जाता है	अतः ३	अन्त्योदय/प्राथमिकता राशनकार्ड जारी करने अनुशंसा की जाती है/आवेदन पत्र अमान्य किया
2000	en to	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम — पदनाम —

हस्ताक्षर –

प्रपत्र-2

छत्तीसगढ़	खाद्य	एवं	पोषण	सुरक्षा	अधिनियम,	2012	के	अंतर्गत	राशनकार्ड• में	सदस्य	जोड़ने	हेतु	आवेदन
						प्रस	ьЧ						

प्रति.

आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी / सचिव, पंचायत

जिला	
विकासखण्ड / नगरीय निकाय	
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय का नाम	
ग्राम/वार्ड का नाम	
उचित मूल्य दुकान का नाम	
आवेदक का नाम	
पिता / पति का नाम	
राशनकार्ड के मुखिया का नाम जिसमें	
सदस्य जोड़ना है	
राशनकार्ड का प्रकार	
राशनकार्ड कमांक	
राशन	कार्ड में सदस्य जोड़ने का विवरण
क. सदस्य का नाम लिंग	मुखिया से संबंध आय नवीन

क.	सदस्य का नाम	लिंग	मुखिया से संबंध	आयु	नवीनतम पासपोर्ट फोटो
1					
2					* .
3					

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का विवरण (निम्न में से कोई एक विवरण संलग्न करें)

सदस्य का आधार कार्ड कमांक सदस्य का ईपिक कार्ड कमांक जन्म प्रमाण पत्र कमांक

घोषणा पत्र

मै यह घोषणा करती / करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम से न तो पृथक से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य राशनकार्ड में दर्ज है । आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी की पुष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।

मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करती / करता हूँ कि इस घोषणा पत्र पर मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य है तथा यह इकरार करती / करता हूँ कि जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मै आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत् दण्ड का भागी रहूँगी / रहूंगा ।

स्थल	
ÿ	हस्ताक्षर (मुखिया)
दिनांक	नाम
(आवेदक निरक्षर होने पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान साक्षी के स	ामक्ष लिया जाए तथा साक्षी का हस्ताक्षर, नाम एवं पता सहित
दर्ज कराया जाए)	
सतापत	a de la companya de

> सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम — पदनाम — हस्ताक्षर — . दिनांक —

प्रपत्र-3

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत राशनकार्ड से सदस्य अंतरित करने हेतु आवेदन प्ररूप

and i	0
U	ਰ

जिला

स्थल

दर्ज कराया जाए)

आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ सचिव, पंचायत

विकासखण्ड / नगरीय निकाय			***************************************				
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय का नाम		***************************************	**************				
ग्राम/वार्ड का नाम							
उचित मूल्य दुकान का नाम				****************			
आवेंदक का नाम							
पिता / पति का नाम							
राशनकार्ड के मुखिया का नाम	जहां						
सदस्य अंतरित करना है							
राशनकार्ड का प्रकार	X						
राशनकार्ड कमांक				••••			
राशनकार्ड अंतरित करने के संबंध	त्र में						
पुराने राशनकार्ड मुखिया का नाम जि	जेसमें						
सदस्य का नाम दर्ज है							
राशनकार्ड का प्रकार							
राशनकार्ड कमांक							
र	ाशनकार्ड	में सदस्य अंतरित कर	ने का विव	रण			
क. सदस्य का नाम	लिंग	मुखिया से संबंध	आयु	नवीनतमं	पासपोर्ट फोटो		
2	Anne Complete All Religions	-		A STATE OF THE STA	-		
				1			
1 na namu and (* A-	घोषणा पत्र		<i>→ → → →</i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
मै यह घोषणा करती / करत किसी भी सदस्य के नाम से न तो पृ अन्य राशनकार्ड में दर्ज है । आवेद जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा	थक से र न में मेरे	ाशनकार्ड है और न ही उ द्वारा दर्ज जानकारी की	उनमें से कि	सी का नाम छत्ती	सिगढ़ राज्य के किसी		
मैं सत्य निष्ठा से घोषणा क	रती / कर	ता हूँ कि इस घोषणा प	त्र पर्मेरे	द्वारा दी गुई समर	त जानकारियाँ पूर्णतः		
सत्य है तथा यह इकरार करती/क	रता हूँ वि	के जांच के दौरान मेरे ह	द्वारा दी गङ् टॅंगी (प्रटंगा	हे जानकारी गलत	पाई जाती है तो मै		

(आवेदक निरक्षर होने पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान साक्षी के समक्ष लिया जाए तथा साक्षी का हस्ताक्षर, नाम एवं पता सहित

हस्ताक्षर (मुखिया)

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd January 2017

NOTIFICATION

No. F 10-64/Food/2009/29-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013) read with sub-section (1) and clause (b) and (c) of sub-section (2) of Section 30 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, makes the following rules relating to regulation of ration card in the State of Chhattisgarh, the same having been previously published as required under sub-section (1) of Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013), namely:-

RULES

- 1. Short title, extent and commencement.-(1) These rules may be called as the Chhattisgarh Ration Card Rules, 2016.
 - (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
 - (3) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Chhattisgrah Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013);
 - (b) "Competent Officer" means officer appointed by collector for identification of beneficiaries of ration cards and issuance of the same;
 - (c) "Control Order" means the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004;

- (d) "Department" means the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection of the Government of Chhattisgarh;
- (e) "Director" means the Director Food, Civil Supplies and Consumer Protection;
- (f) "Household for ration card" means and includes the husband, wife, their unmarried children and dependent members;
- (g) "Notification" means the notification issued under these rules and published in the Official Gazette; and
- (h) "State Government" means the Government of Chhattisgarh.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004, the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or in any other relevant Act.
- 3. Type of ration card and entitlement.- (1) Ration card shall be of Antyodaya, Priority and Mukhya Mantri Khadyanna Sahayata Yojana only.
 - (2) Following persons and families shall be eligible for ration card, namely:-
 - (a) persons or families mentioned as Particularly Vulnerable Social Group in sub-section (2) of Section 15 of the Act, who are also eligible under Antyodaya Households;

- (b) persons or families classified as Priority Households under sub-section (3) of Section 15 of the Act.
- **4. Exclusion of persons or households for ration card.-** Following categories of persons or households shall be excluded for entitlement for the ration card, namely:-
 - (a) such person and members of the household, who are excluded under sub-section (4) of Section 15 of the Act;
 - (b) all employees of all the departments, Public Undertakings, Corporations, Board, Autonomous Institutions and Local Bodies of the Central or the State Government, who are permanent or have been appointed on contract basis except daily wager not below the rank of Class-III, Adhoc and Class-IV employees;
 - (c) the State Government may, from time to time by notification, create more categories of excluded persons or families under this rule and such person and their family members shall stand excluded from the date of publication of such notification.
 - 5. Guidelines for identification of Antyodaya, Particularly Vulnerable Social Group Household and Priority Households.-(I) Identification of Antyodaya Household- In sub-section (5) of Section 15 of the Act, there is a provision to be specified as Particularly Vulnerable Social Group Household under Antyodaya Household.
 - (II) Particularly Vulnerable Social Group Household- (1) In sub-section (2) of Section 15 of the Act, the following shall be specified as Particularly Vulnerable Social Group Household:-

- (a) all households of Particularly Vulnerable Tribal Groups as notified by the Central Government, from time to time, i.e all the families belonging to Baiga, Birhor, Hill Korwa (Pahadi Korwa), Kamar and Abhuj Maria tribes;
- (b) all households headed by a widow or a single/destitute women;
- (c) all families whose head is suffering from incurable disease specified by the State Government;
- (d) all households headed by a person with disability;
- (e) all households headed by a person of sixty years of age or more with no assured means of subsistence or social support;
- (f) all households headed by a person released from bonded labor;
- (g) all household whose head is Homeless and all the household who belong to Pando and Bhunjia Tribe are merged in Particularly Vulnerable Social Group Household under clause (g) of sub-section (2) of Section 15 of the Act; and
- (h) any other group of households as may be notified by the State Government, from time to time.
- (2) Procedure for identification of eligible Antyodaya Household- families applying for Antyodaya Ration Card, shall choose one Category from the Particularly Vulnerable Social Groups, based on their eligibility, and shall produce following certificate, namely:-

- (a) caste certificate issued by the State Government, for families of Baiga, Hill Korwa (Pahadi Korwa), Birhor, Kamar, Abhuj Maria, Pando and Bhunjia Tribes;
- (b) certificate issued by Secretary, Panchayat in rural areas and Competent Officer of Urban Local Bodies in Urban Areas, for identification of Widow or Single Women;
- (c) certificate issued by a Competent Officer of Health Department of concerned area, in case of suffering from incurable diseases which are specified by the State Government;
- (d) disability Certificate issued by the Competent Officer, for verification of Persons with Disabilities;
- (e) certificate issued by the Secretary, Panchayat in rural areas and Competent Officer of Urban Local Bodies in Urban Areas for verification of Destitute person;
- (f) certificate issued by the Competent Officer of Labor Department for verification of Bonded Labour; and
- (g) certificate issued by Secretary, Panchayat in rural areas and Competent Officer of Urban Local Bodies in Urban Areas, for the verification of Homeless people.
- (3) Competent Authority after receiving the application in Proforma-I along with certificates regarding eligibility for Antyodaya Household shall verify the same and on

finding her/him eligible shall certify eligibility of the applicant for Antyodaya Ration card.

- (III) Identification of Priority Household- (1) Subject to the provision of sub-section (3) of Section (15), all households belonging to the following categories shall be designated as priority households, namely:-
 - (a) all households, which are eligible to receive food materials as per the criteria specified under the Mukhya Mantri Khadyanna Sahayata Yojana, to the extent of their entitlements under the said Yojana, from the date of commencement of the Act;
 - (b) all households of landless agricultural laborers;
 - (c) all households of small farmers and marginal farmers;
 - (d) all households headed by a person registered as an unorganized labour under the provisions of the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008); and
 - (e) all households headed by a person registered as construction worker under the provisions of the Building and Other Construction workers (Regulation of Employment And Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996).
 - (2) Procedure for identification of Priority Household-Families applying for Priority Household Ration Card, keeping in mind their eligibility, shall choose one category from the Priority Household and shall produce following certificates, namely:-

- (a) photocopy of Ration Card, in case of being an eligible ration card holder of Mukhyamantri Khadyanna Sahayata Yojana, from the date of commencement of the Act;
- (b) certificate issued by the competent officer of Revenue Department, for the verification of households of landless agricultural laborer;
- (c) certificate issued by the competent officer of Revenue Department, for the verification of households of small and marginal farmers;
- (d) certificate issued by the competent officer, for the verification of a person registered as an unorganized labour under the provisions of the Unorganized Worker's Social Security Act, 2008 (33 of 2008);
- (e) certificate issued by the competent officer, for the verification of a person registered as construction worker under the provisions of the Building and Other Construction workers (Regulation of Employment And Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996).
- (3) Competent Authority after receiving application alongwith certificates regarding eligibility of Priority Household shall verify the same and on finding her / him eligible shall certify eligibility of the applicant for Priority Ration card.
- **6. Utility of ration card.** (1) Ration Cards shall not be used for any other purpose except for the entitlement of consumer rates and quantities of ration commodities.

- (2) Eligibility of ration commodities under ration card shall be according to the provisions laid down in Schedule-I of the Act.
- 7. Continuance of the existing ration cards.- All valid ration cards issued before the commencement of these rules and in existence shall remain in force till they are cancelled under this rules.
- 8. Procedure for preparation or transfer of ration cards and addition or transfer of members.- (1) Application for new ration card or transfer of ration cards to any other region within state shall be submitted in proforma-1 to the concerned Urban Local Body or Gram Panchayat.
 - (2) In order to addition of name of new members in ration card or to transfer their name in any other ration card, application in proforma-2 shall be submitted to the concerned Urban Local Body or Gram Panchayat.
 - (3) for the identification of Head of the Family and its members and error free confirmation of Residential Address, following documents shall be enclosed with the application, namely:-
 - (a) Any photo identity card of the head of the household and other members of the family applying for head of the household in ration card, duly approved for this purpose by the Director;
 - (b) Passport size photograph of head of the household and other members;
 - (c) Birth Certificate, in order to addition of the name of minor in Ration Card or Photocopy of the certificate issued by the

- School wherein Date of Birth has been specified or any other document approved by the Director;
- (d)Photocopy of Aadhaar Card or Voter Identity Card (Epic Card) of head of the family and other members of family;
- (e) Information of Bank Account number and I.F.S.C code number of head of the household or any other member of the household; and
- (f) Copy of Certificate regarding eligibility of being included under Antyodaya or Priority Household category.
- (4) On receiving the application forms, competent officer of concerned Urban Local Body or gram panchayat shall inspect the certificate(s) enclosed with the application form, other documents and declarations. Upon finding any discrepancies in the information given in application or any doubt regarding the authenticity of the document, competent officer shall cause verification of the certificate by the Government official or issuing officer/employee, so that only eligible families can issued Ration Card.
 - (5) Competent Officer shall tally the members of family with the report of survey done in census 2011, based on Social, Economic and Caste norms. On finding it correct, shall attach a photocopy of the information of the family along with the application.

- (6) For the verification of the information given in the application, the Competent Officer shall inspect the locality and compulsorily take the statement of the local people.
- (7) Competent Officer, after verification, shall submit his verification report to the Chief Municipal Officer or Commissioner of the Urban local bodies or Chief Executive Officer of Janpad Panchayat in Rural areas.
- 9. Call for objection of general public in case of application for Ration Card.- After completion of process given in rule 8 being completed, following steps shall be taken for calling objection of the general public on the application for ration card -
 - (1) Details of the applications verified by the Commissioner or Chief Municipal Officer of Urban Local Bodies and Chief Executive Officer of the Blocks, shall be village-wise and urban body-wise displayed on the website of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.
 - (2) Details of the verified applications shall be displayed on the notice board of Urban Local Bodies or Gram Panchayat.
 - (3) Details of the applications received shall be read before the public present at village or ward meetings.
- 10. Hearing of objection.- If any objection on the application for ration card is received, the same shall be heard by the Chief Municipal Officer or Commissioner or the Competent Officer authorized by him in urban areas and Chief Executive Officer, Janpad Panchayat in rural areas.

- 11. Order on the application for ration card.- After completion of process given in rule 8, rule 9 and rule 10 of these rules, the Chief Municipal Officer/Commissioner or the Competent Officer authorized by him in urban areas and Chief Executive Officer, Janpad Panchayat in rural areas shall issue final order and thereafter, process of making ration cards, amendment or transfer shall be made and copy of the order shall be made available free of cost.
 - 12. Time limit for issuance of Ration Card.— Time limit for issuance of ration card shall be such as prescribed under Chhattisgarh Lok Seva Gurantee Act, 2011 (No.23 of 2011).
- 13. Appeal.- An appeal against the order made by Commissioner or Chief Municipal Officer or competent officer authorized by him in urban areas and Chief Executive Officer, Janpad Panchayat in rural areas shall be presented to Tehsildar within 30 days from the date of such order and the decision taken by Tehsildar shall be final.
- 14. Verification of ration cards.- Every year Intensive verification campaign of ration cards shall be organized and lists of Ration Card shall be updated as follows:-
 - (1) Intensive verification of ration cards shall be done necessarily in those villages or wards where the number by ration cards or number of members of household is abnormally more than that is found in

Census and Socio economic information and for this purpose, list of Fair Price Shops shall be prepared by the Collector.

- (2) Director or Collector may, at any time, issue order for intensive verification of ration cards of any area.
- (3) for intensive verification, notice shall be issued to all concerned ration card holders of selected Fair Price Shops, asking them to submit declaration and certificate in such form as prescribed by the Director, food, Civil Supply and Consumer Protection, to the effect that they do not come under the purview of excluded categories and are required to produce the same as proof for Ration Cards.
 - (4) after completion of process given in rule 8, rule 9 and rule 10 of these rules, order shall be issued under rule 11.
 - (5) after the completion of the said procedure updated list of ration card shall be displayed.
- 15. Punishment for giving false information for issuing ration card and concealing of evidence or fact. If a person gives any false information in the application or declaration under these rules or conceals any information intentionally or if any person issues bogus or ineligible ration card on the basis of any false information or certificate in the application or declaration under these rules, he shall be punished under the provision of relevant Act or Rules made thereunder or any other law for the time being inforce. If any procedure mentioned in the rule is not followed for the issuance of

ration card, departmental disciplinary action shall be taken against the competent officer, officer and employees authorized by the collector for the verification of application form and documents.

16. Power to issue order for compliance of instructions.- For compliance of the various provisions of these Rules, the State Government may, from time to time, issue necessary orders,.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

PROFORMA-1

APPLICATION-CUM-DECLARATION FOR ISSUE OF NEW RATION CARD UNDER CHHATTISGARH RATION CARD RULE, 2016.

Го,	
	The Commissioner/Chief Municipal Officer/ Secretary, Panchayat
	Village/Ward
	Gram Panchayat/Municipality
	Tahsil/BlockDistrict
1.	I,(name of senior most female member of the family/female head) daughter/wife
	of
2.	Caste – Scheduled Case/Scheduled Tribe/OBC/General
3.	Present address – House nostreet no
	Mohallaward no
4.	Mobile no. of myself/other members of family
5.	Bank Account no. (head/member)
	IFSC Code no
6.	Details of members of my family (as on date) are as under:-

S.No.	Name of female head/member	Age	Sex	Relation to the Head	Voter ID Card no. (Only for adult members)	Aadhar card no.	Latest passport size photo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.			8				3.2
2.							
3.							

(In case there is no female member of 18 years of age or above in the family, name of male family head to be given)

- 7. I or any other member of my family is not income tax payee. I am not holding more than 4 hectare (10 acre) irrigated land or more than 8 hectare (20 acre) non-irrigated land in non-scheduled area. I do not own pakka house built in more than 1000 sq.ft. area in urban sector. Neither myself nor any of my family member come under the category of restricted family for ration cards as per sub-section (4) of Section 15 of the Chhattisgarh Food and Nutrition Security Act or any prevailing rules.
- 8. Family under Antyodaya Anna Yojna/Particularly vulnerable group under Section 15 of the Chhattisgarh Food & Nutrition Security Act.
- 1. All families under particularly vulnerable tribal group so scheduled from time to time by the Central Government
 - (Please mark √ on your tribe out of Baiga/Pahadi Korwa/Birhor/Kamar/Madia).
- Family head is either widow/divorced.or alone lady. (Please mark √ on (widow/divorced/alone)

- 3. Family head is suffering from serious/non-curable illness. (Cancer/Aids/Leprosy/Siklasel Anemia)
- 4. Family head is disabled.

(Self / wife/.husband is disabled.

- 5. Family head is 60 or more years of age and is not having any type of livelihood or social assistance/beneficiary under destitute pension scheme.
- 6. Family head is freed bonded labour.
- 7. Family head is shelter less.

(Please attach certificate issued by authorized officer)

OR

Priority House hold families under Section 15 of the Chhattisgarh Food & Nutrition Security Act.

- 1. Landless agriculture labour families.
- 2. Border farmer families (family upto 2.5 acre land owner)
- 3. Small scale farmer families (family upto 5 acre land owner)
- 4. Registered labour under Unorganized Social Security Act, 2008
- Registered as labour under Construction Workers (Regularization of Recruitment and Service terms) Act, 1996
 (Please attach certificate issued by authorized officer)

OR

For disabled for green ration card under Mukhyamantri Khadyanna Sahayta Yojna).

disabled Applicant.

(Please attach certificate issued by authorized officer)

I am eligible under s.no. / / / prescribed for the category of Antyodaya families or priority class families or MKSY families and I have marked $\sqrt{}$ on such eligible families.

9. I hereby declare that out of the details I have given in the application-cumdeclaration form, no separate ration card is either issued in the name of any of the members of my family as also there is no entry in the ration card in any of the district of Chhattisgarh State. In support of the information given by myself in the application, necessary documents are available with me, which can be produced on demand.

I solemnly declare that all the information given by myself in this declaration form is fully true and I pledge that if any information is found false during enquiry, I shall be liable for penalty under Section 9 of the Essential Commodities Act,1955.

Place:

Signature (family head)

Date:

Name:

(In case of the applicant being illiterate, thumb impression of left hand finger be taken in presence of witness and be duly signed by the witness with name and address.)

Attestation

All the documents submitted along with the application have been verified by myself. Members of the family as mentioned at S.no.....(copy attached) have been/have not been found matching with Socio-Economic Caste Census 2011 survey. Documents attached with the application have been found correct/incomplete/incorrect.

So issue of Antyodaya/priority ration card is recommended/application is rejected.

Name of attesting officer-Designation-Signature-Date-

Proforma-2

Application form for applying for adding members in ration cards under Chhattisgarh Food & Nutrition Security Act, 2012.

The Commissioner/Chief Municipal Officer/ Secretary, Panchayat
District
Block/Municipality
Name of Gram Panchayat/Municipality
Name of Village/Ward
Name of Fair Price Shop
Name of applicant
Name of father/husband
Name of Head of the family in the ration card in which members are to be added
Type of ration card
Ration Card number

Details of members to be added in the ration card.

S.No.	Name of member	Sex	Relation to head of family	Age	Latest passport photo
1.	-				
2.					
3.					

Documents to be attached with the application form (Any one of the following to be attached)

Aadhar Card No. of member Epic Card No. of member Birth certificate No

To

Declaration

I, hereby, declare that out of the details I have given in the application-cumdeclaration form, no separate ration card is either issued in the name of any of the members of my family as also there is no entry in the ration card in any of the district of State of Chhattisgarh. In support of the information given by myself in the application, necessary documents are available with me, which can be produced on demand.

I solemnly declare that all the information given by myself in this declaration form is fully true and I pledge that if any information is found false during enquiry, I shall be liable for penalty under Section 9 of the Essential Commodities Act,1955.

Place -

Signature (Head)

Date-

Name-

(In case of the applicant being illiterate, thumb impression of left hand finger be taken in presence of witness and be duly signed by the witness with name and address).

Attestation

All the documents submitted along with the application have been verified by me. Members of the family as mentioned at S.no...............(copy attached) have been/have not been found matching with Socio-Economic Caste Census 2011 survey. Documents attached with the application have been found correct/incomplete/incorrect.

So issue of Antyodaya/priority ration card is recommended/application is rejected.

Name of attesting officer-Designation-Signature-Date-

Proforma-3

Application form for transfer of members from ration card under Chhattisgarh Food & Nutrition Security Act, 2012

The Commissioner/Chief Municipal Officer/Panchayat Secretart,
District
Block/Municipality
Name of Gram Panchayat/Municipality
Name of Village/Ward
Name of Fair Price Shop
Name of applicant
Name of father/husband
Name of Head of the family in the ration card in which members are to be added.
Type of ration card
Ration Card number
For the purpose of transfer of ration cards, name of head in the old ration card, in which
name of member is entered
Type of ration card
Ration Card number

To

Details of transfer of members in ration card

S.No.	Name of member	Sex	Relation to head of family	Age	Latest passport photo
1.					
2.					
3.					

Declaration

I, hereby, declare that out of the details I have given in the application-cumdeclaration form, no separate ration card is either issued in the name of any of the members of my family as also there is no entry in the ration card in any of the district of State of Chhattisgarh. In support of the information given by myself in the application, necessary documents are available with me, which can be produced on demand.

I solemnly declare that all the information given by myself in this declaration form is fully true and I pledge that if any information is found false during enquiry, I shall be liable for penalty under Section 9 of the Essential Commodities Act, 1955.

Place -

Date-

Signature (Head)

Name-

(In case of the applicant being illiterate, thumb impression of left hand finger be taken in presence of witness and be duly signed by the witness with name and address.